कण्ट्रोल के कपड़े के रंग तथा डिजाइन अनाकर्षक तथा पुराने हैं और उपभोक्ताओं में लोकप्रिय नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप उक्त कपड़े की हजारों गांठें बिना बिके पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). सरकार को बिना बिके नियंत्रित कपड़े के बहुत बड़ी मात्रा में जमा होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। अब तक 20 राज्यों तथा 8 केन्द्र शासित क्षेत्रों के नामितों ने 31 मई, 1977 तक नियन्त्रित कपड़े की केवल 1552 गांठों का कुल स्टाक होने की सूचना दी है, जिसे 22,000 गांठों के मासिक आवंटन की तुलना में सप्लाई किया जा रहा स्टाक ही माना जाता है। नियन्त्रित कपड़े के रंगों अथवा डिजाइनों के लोकप्रिय न होने के बारे में न तो वस्त्र आयुक्त और न ही राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के पास कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। तथापि, जून, 1977 में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा विशिष्ट रूप से पूछे जाने पर राज्य सरकारों के कुछ नामितों ने अनाकर्षक डिजाइन तथा लोकप्रिय रंग न होने की सामान्य किस्म की शिकायतों का उल्लेख किया है, जिन्हें इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि उन्होंने कपड़ा नमूना देखने के बाद स्वीकार किया था।

2. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मिलों द्वारा तैयार किए गए नियन्त्रित कपड़े का वस्त्र आयुक्त द्वारा भिन्न-भिन्न राज्यों को आवंटन किये जाने के बाद नियन्त्रित कपड़े की हर किस्म का नमूना सम्बन्धित मिलों द्वारा राज्य के नामितों को भेजा जाता है, ताकि वे नियन्त्रित कपड़े का आवंटन स्वीकार करने तथा जिले में विशिष्ट माल पाने वाले को नियन्त्रित कपड़ा भेजने के अनुदेश देने से पहले, उसकी किस्म, रंग तथा डिजाइन की जांच कर लें। इसलिए राज्यों के नामितों को आवंटन स्वीकार करने से पहले रंग तथा डिजाइन की जांच और यह निर्णय करने का अवसर मिलता है कि वे राज्य की जनता को पसन्द होंगे। रंगों और डिजाइनों की पसन्द हर क्षेत्र में अलग-अलग होती है और यदि कोई कपड़ा किसी राज्य विशेष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह दूसरे ऐसे राज्य को फिर से आवंटित कर दिया जाता है, जहां वैसे रंग तथा डिजाइन पसन्द किए जाते हैं। इसलिए, वास्तविक शिकायतें ऐसे मामलों से सम्बन्धित होनी चाहिएं, जहां वास्तव में सप्लाई किया गया कपड़ा मिलों द्वारा भेजे गये नमूनों के अनुरूप नहीं होता। ऐसे मामलों में माल पाने वालों को आगे जांच करने तथा सम्बन्धित मिलों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए वस्त्र आयुक्त तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के पास औपचारिक शिकायतें करनी होती हैं। जनवरी, 1977 से किन्हीं भी माल पाने वालों द्वारा इस प्रकार की कोई औपचारिक शिकायतें दर्ज नहीं कराई गई है, जिनमें यह कहा गया हो कि कपड़ा नमूनों के मुताबिक नहीं है।

Free Trade Zone in Goa

*800. SHRI EDUARDO FALEIRO: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to establish a Free Trade Zone in Goa ; and

(b) if so, the precise nature of the project ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Help to Tobacco Farmers

*801. SHRI D. D. DESAI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether tobacco prices have fallen to uneconomic levels ; and